

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।  
उपस्थित:- अरुण सिंह -----(उ.प्र. न्यायिक सेवा)

वाद संख्या - 1860/9/2020

सरकार-----अभियोजन,  
बनाम

- (1)- अरशद पुत्र नसीर
- (2)- सत्तार पुत्र इफ्तेखार उर्फ इस्तेखार
- (3)- बिलाल पुत्र अलीम
- (4)- मोमीन उर्फ मोवीन पुत्र अलीम
- (5)- कामिल पुत्र अन्सार ,समस्त, निवासीगण, ग्राम- हसनपुर लुहारी थाना-थानाभवन, जिला- शामली।-----अभियुक्तगण

धारा- 147 ,323 भा.द.सं  
मु.अ.सं. - 214/2014  
थाना- थानाभवन, जिला-शामली।

निर्णय

पुलिस थाना-थानाभवन के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 214/2014, अंतर्गत धारा- 147 , 323 भा.द.सं . में अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन उर्फ मोवीन व कामिल को तलब कर दण्डित करने के लिए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन , जिला शामली का निवासी है प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी का भाई मुसलमीन पुत्र जमशेद आज सवेरे 8.00 बजे अपने साथ अमीर आलम पुत्र सरफराज, रिजवान पुत्र लिह्ला, तैमूर पुत्र फय्याज ग्रामवासी को लेकर ग्राम हसनपुर लुहारी, थानाभवन लकड़ी की ट्राली की बेचने हेतु लकड़ी ले गये तथा लकड़ी राजेश के ग्राम लुहारी स्थित धर्मकांटे पर ट्राली ले गये तथा तौल कराने लगे तो तभी वहां पर ग्राम लुहारी निवासी अरशद पुत्र नसीर याया तथा उसने प्रार्थी के भाई से लकड़ी खरीदने के लिये कहने लगा मुसलमीन ने कहा कि तुम्हारा व्यवहार व पैसे लेन-देन का मामला सही नहीं है। अतः हम तुम्हें लकड़ी नहीं बेचेंगे। इसी बात को बढ़ाते हुए अरशद वहाँ से चला गया तथा 15 मिनट बाद अपने साथ बिलाल पुत्र अलीम, सत्तार पुत्र इस्तेखार, मोमीन पुत्र अलीम, कामिल पुत्र अंसार को लाया। ये सभी लाठी-डण्डे लिये हुए थे तथा अरशद चाकू लिये हुए था। इन्होंने प्रार्थी के भाई मुसलमीन, आमीर आलम, रिजवान व तैमूर पर हमला कर इन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्राम में सूचना मिलने पर इन्हें सरकारी अस्पताल थानाभवन चिकित्सा हेतु लाया गया। रिपोर्ट मेडिकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इंसाद पुत्र फरमूद , इकारम पुत्र अरशद ग्राम भैसानी इस्लामपुर निवासी मौके के गवाहान हैं। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई है।

न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन उर्फ मोवीन व कामिल के विरुद्ध धार 147, 323 भा.द.सं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में साक्षी मुसलमीन पुत्र जमशेद को बतौर पी०डब्लू० 1, साक्षी अमीर आलम पुत्र सरफराज को बतौर पी०डब्लू० 2, साक्षी रिजवान पुत्र लिह्ला को बतौर पी०डब्लू० 3, साक्षी तैमूर पुत्र फय्याज को बतौर पी०डब्लू० 4, साक्षी इकारम पुत्र अरशद को बतौर पी०डब्लू० 5, व साक्षी मुसलमीन पुत्र जमशेद को बतौर पी०डब्लू० 6, परीक्षित कराया गया। वादी के द्वारा अन्य गवाहों को उन्मोचित किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अभियोजन अधिकारी द्वारा सम्मिट किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया और अन्य साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित किया

गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की। तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा उनके तर्कों के आलोक में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परीशीलन किया गया।

### निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में अभियोजन को साक्ष्य से संदेह से परे इन तथ्यों को साबित करना है कि प्रार्थी ग्राम भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन, जिला शामली का निवासी है प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी का भाई मुसलमीन पुत्र जमशेद आज सवेरे 8.00 बजे अपने साथ अमीर आलम पुत्र सरफराज, रिजवान पुत्र लिह्ला, तैमूर पुत्र फैय्याज ग्रामवासी को लेकर ग्राम हसनपुर लुहारी, थानाभवन लकड़ी की ट्राली की बेचने हेतु लकड़ी ले गये तथा लकड़ी राजेश के ग्राम लुहारी स्थित धर्मकांटे पर ट्राली ले गये तथा तौल कराने लगे तो तभी वहां पर ग्राम लुहारी निवासी अरशद पुत्र नसीर याया तथा उसने प्रार्थी के भाई से लकड़ी खरीदने के लिये कहने लगा मुसलमीन ने कहा कि तुम्हारा व्यवहार व पैसे लेन-देन का मामला सही नहीं है। अतः हम तुम्हें लकड़ी नहीं बेचेंगे। इसी बात को बढ़ाते हुए अरशद वहाँ से चला गया तथा 15 मिनट बाद अपने साथ बिलाल पुत्र अलीम, सत्तार पुत्र इस्तेखार, मोमीन पुत्र अलीम, कामिल पुत्र अंसार को लाया। ये सभी लाठी-डण्डे लिये हुए थे तथा अरशद चाकू लिये हुए था। इन्होंने प्रार्थी के भाई मुसलमीन, अमीर आलम, रिजवान व तैमूर पर हमला कर इन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्राम में सूचना मिलने पर इन्हें सरकारी अस्पताल थानाभवन चिकित्सा हेतु लाया गया। रिपोर्ट मेडिकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इंसाद पुत्र फरमूद, इकारम पुत्र अरशद ग्राम भैसानी इस्लामपुर निवासी मौके के गवाहान हैं।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 1 के रूप में मुरसलीन पुत्र जमशेद को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब साढ़े चार साल पहले की बात है। आठ बजे प्रातः का समय था ग्राम हसनपुर लुहारी में अभियुक्तगण अरशद, बिलाल, सत्तार, मोमीन एवं कामिल से हम लोगों की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। कहा सुनी सुनकर आस पडौस के लोग भी आ गये थे, उन्ही लोगों में से किसी से मुझे भी धक्का लग गया था और मुझे कुछ चोट आ गयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने मुझे लाठी-डण्डे व चाकू से मारा पीटा नहीं था। उस समय अभियुक्तगण से रिश्ते ठीक नहीं थे लोगों के कहने से मैंने प्रार्थना पत्र लिखाकर थाने में दे दिया था, जिससे मुकदमा कायम हुआ था। तहरीर पर गवाह ने निशानी अंगूठी की पुष्टी की। जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। गवाह की इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के आवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया तथा जिरह की अनुमति दी गई।

पी० डब्लू० 1 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तहरीर लिखने वाले ने अपनी तरफ से काफी बढ़ा-चढ़ा कर लिख दिया है। अभियुक्तगण अरशद, बिलाल, सत्तार, मोमीन कामिल एकराय होकर लाठी-डण्डे, चाकू से लैस होकर हम लोगों के साथ मारपीट नहीं की थी तथा न ही इन लोगों ने कोई बलबा किया था। शरीर पर आयी चोट के बारे में साक्षी से पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे गिरने से चोट आयी थी। किसी के मारने से चोट नहीं आयी थी। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण उपरोक्त से मिल गया हूँ तथा उन्हें बचाने के लिए सही बात न बता रहा हूँ, गवाही अपनी मर्जी से दे रहा हूँ किसी जोर दबाव में नहीं दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि अब हम लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि रिश्ते ठीक होने की वजह से मैं अभियुक्तगण को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दारोगा जी को मैंने कोई बयान नहीं दिया था।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 2 के रूप में अमीर आलम पुत्र सरफराज को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब पाँच साल पहले की बात है आठ बजे दिन का समय था ग्राम हसनपुर लुहारी में अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन व कामिल से चचेरे भाई मुरसलीन की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। कहा सुनी के समय आस-पडौस के लोग भी आ गये थे, उन्हीं में से किसी ने मुझे धक्का दे दिया था, जिससे मुझे चोट आ गयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने एकराय होकर लाठी-डण्डे एवं

चाकू के साथ हम लोगों के साथ मारपीट नहीं की थी तथा बलवा नहीं किया था। गवाह को इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के आवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा जिरह की अनुमति दी गयी।

पी०डब्लू० 2 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन एवं कामिल से मिल गया हूँ तथा उन्हें बचाने के लिए सही बात न बता रहा हूँ। गवाही अपनी मर्जी से दे रहा हूँ किसी जोर दबाव में नहीं दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि अब हम लोगों के बीच कोई विवाद नहीं है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 3 के रूप में रिजवान पुत्र लिह्ला को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब पौने पांच साल पहले की बात है आठ बजे दिन का समय था ग्राम हसनपुर लुहारी में अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन व कामिल से चचेरे भाई मुरसलीन की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। कहा सुनी के समय आस-पड़ौस के लोग भी आ गये थे, उन्हीं में से किसी ने मुझे धक्का दे दिया था, जिससे मुझे चोट आ गयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने एकराय होकर लाठी-डण्डे एवं चाकू के साथ हम लोगों के साथ मारपीट नहीं की थी तथा बलवा नहीं किया था। गवाह को इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के आवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा जिरह की अनुमति दी गयी।

पी०डब्लू० 3 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन एवं कामिल से मिल गया हूँ तथा उन्हें बचाने के लिए सही बात न बता रहा हूँ। गवाही अपनी मर्जी से दे रहा हूँ किसी जोर दबाव में नहीं दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि अब हम लोगों के बीच कोई विवाद नहीं है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 4 के रूप में तैमूर पुत्र फय्याज को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब 6 वर्ष पहले की बात है। 8.00 बजे दिन का समय था। ग्राम हसनपुर लुहारी में अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन व कामिल से मुरसलीन की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। कहा सुनी के समय मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गये थे। मैं भी घटना स्थल पर पहुँच गया था। वही मुझे किसी ने धक्का देकर गिरा दिया, जिससे मुझे चोट आ गई। हाजिर अदालत मुल्जिम सत्तार व गैर हाजिर अरशद, बिलाल, मोमीन व कामिल ने हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की, न ही एकराय होकर हमला किया। इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है व जिरह की अनुमति दी जाती है।

पी०डब्लू० 4 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। शरीर पर जो चोटें आई हैं वह गिरने की वजह से आयी थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण अरशद, बिलाल, मोमीन, कामिल व सत्तार से मैं मिल गया हूँ तथा उन्हें बचाना चाहता हूँ। यह बयान मैं किसी दबाव के अपनी मर्जी से दे रहा हूँ।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 5 के रूप में इकराम पुत्र अरशद अली को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब 6 वर्ष पहले की घटना है। 8.00 बजे मैं अपने खेत में काम कर रहा था। शाम को जब घर आया तो मुझे पता चला कि अभियुक्तगण सत्तार, अरशद, बिलाल, मोमीन व कामिल की किसी से कहा सुनी हो गयी। मुझे कोई घटना के संबंध में जानकारी नहीं है। इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और जिरह की अनुमति दी जाती है।

पी०डब्लू० 5 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। मेरे सामने उक्त मुल्जिमान ने कोई घटना कारित नहीं की थी। यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिमान से साझ कर ली है और सही बात नहीं बता रहा हूँ।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 6 के रूप में मुसलमीन पुत्र जमशेद को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब 6 वर्ष पहले की घटना है। सुबह 8.00 बजे कुछ लोगों की आपस में कहा-सुनी हो गयी। मैं भी मौके पर पहुँच गया। जहाँ काफी भीड़ इकट्ठा थी। मौके पर धक्का-मुक्की होने की वजह से मैं गिर गया व मुझे चोट आ गई और हाजिर अदालत अरशद, बिलाल, मोमीन व कामिल ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की, न ही जानलेवा हमला किया। इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और जिरह की अनुमति दी जाती है।

पी०डब्लू० 6 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहे कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि बयान मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। मेरा डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल थानाभवन में हुआ था।

आपराधिक विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे अभियोजन साक्ष्य से साबित करें। साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 4, पी०डब्लू० 5 तथा पी०डब्लू० 6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है।

उपरोक्त गवाहों के बयानों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचता है कि गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे मामला साबित नहीं होता है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन उर्फ मोवीन व कामिल को अंतर्गत धारा 147, 323 भा.द.सं के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

#### आदेश

अभियुक्तगण अभियुक्तगण अरशद, सत्तार, बिलाल, मोमीन उर्फ मोवीन व कामिल को अंतर्गत धारा 147, 323 भा.द.सं, के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनकी जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक: - 07.10.2021

(अरूण सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: - 07.10.2021

(अरूण सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।